राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

10036

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 ~~1402~~ 1396 / 2015 / 18 दिनांकः 12.8.2015

श्रीमती अनीता रानी,
म0 न0 ~~डबल्यू जैड–343,~~ 22, IInd Floor
~~नसरयणा गॉव~~, Begum Pur Park,
नई दिल्ली–11002~~8~~ Malviya Nagar,

उप निदेशक (राजस्व) के0 / के0उ0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती अनीता रानी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 17–07–2015 (आई0डी0न0 3198) का निपटान किया गया।

दिनांक 12.08.2015 को अपील की सुनवाई की गई नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती अनीता रानी उपस्थित हुईं एवं श्री राम निवास, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– I, साकेत, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 01.06.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 17.07.2015 को दायर की ।

जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 30.06.2015 को सम्बद्ध पूर्ण सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित कर दी थी किन्तु अपीलकर्ता अपने दिनांक 12.03.2015 के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करवाना चाहती थीं जो कि मूलतः एक शिकायत पत्र है । सहायक जनसूचना अधिकारी जो कि क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– I भी हैं ने बताया कि उनकी शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है । सहायक जनसूचना अधिकारी / क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– I को यह निर्देश दिया जाता है कि अत्यधिक बिल से सम्बन्धित अपीलकर्ता की शिकायत को दिनांक 24.08.2015 तक सुलझा दिया जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

EXECUTIVE ENGINEER (DP) DY. No. 4304 Date 19/8/15

AE-I DRO-I

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0
अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री अनीता रानी, म0 न0 22, द्वितीय तल, बेगमपुर, नई दिल्ली–110017.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)– I, साकेत ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाइ ́ट पर इस आदेश को डालने हेतु।

13/8/15

प्रथम सूचना अधिकारी